

राजस्थान सरकार
राजस्व(युप-6)विभाग

प0क्र:-6(54)राजस्व-6 / 2001पार्ट | 10

जयपुर,दिनांक:- 1. 5. 2007

समस्त संभागीय आयुक्त,
राज०।
समस्त जिला कलेक्टर,
राज०।

परिपत्र

विषय:-राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपर्वर्तन) नियम, 1961 के निरसित नियम के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में परिपत्र क्रमांक 6 (54)राज-6/01/पार्ट दि 0 15.7.04 जारी करके यह निर्देश दिये थे कि उपरोक्त नियम दि 0 5.3.03 को निरसित किये जा चुके हैं इसलिए निरसित नियमों के पश्चात् इन नियमों में विचाराधीन प्रकरण तथा नये प्रकरणों में कार्यवाही अब स्थानीय निकायों द्वारा की जावेगी। लेकिन कुछ जिला कलेक्टर द्वारा इस संबंध में अभी भी मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियमों के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों में कार्यवाही राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-बी के अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय निकायों के लिए अधिसूचित अधिकृत आधेकारी द्वारा ही की जावेगी।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.वि० सहायक, मा० राजस्व मंत्री जी।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
- 3.निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
- 4.निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
- 5.समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

आज्ञा से
शासन उप सचिव 1.5.07

शासन उप सचिव 1.5.07
57